

आम सूचना
सामान्य को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मेसर्स ग्रुप रियल्टीज, भोपाल, म.प्र. द्वारा भागीदार श्री संदीप श्रीवास्तव आत्मज श्री आर.के. श्रीवास्तव व अन्य भागीदार निवासी एचआईजी 13, बघीरा अपार्टमेंट, बिन्दु मार्केट, भोपाल, म.प्र. के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि 50/1/1/5, 50/1/1/2, 50/1/1/5, 50/1/1/4, 50/1/2/1, 50/1/2/2, 50/1/2/3, 50/1/2/4, 50/1/3/1, 50/1/3/2, 50/1/3/3, 50/1/3/4, 50/1/3/5, 50/1/4/1, 50/1/4/2, 50/1/4/3, 50/1/4/4, 50/1/4/5, 50/1/5/1, 50/1/5/2, 50/1/5/3, 50/1/5/4, 50/1/5/2, 53/2/1, 55/1 पर कुल रकबा 6.803 हेक्टेयर जो कि ग्राम रासलाखेडी, पटवारी हल्का नंबर 21, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. में स्थित है।
उक्त भूमि में से रकबा 1.0854 हेक्टेयर (10854 वर्गमीटर) जिसे विकसित कॉलोनी "शुभ विनयेस जोन" के स्वीकृत टीएचसी.पी. से-आउट में PROPOSED COMMERCIAL BUILDING BLOCK "A" "रामन मॉल हेड" के रूप में प्रदर्शित किया गया है के संबंध में एक संयुक्त उपक्रम अनुबंध हेतु मेरे पक्षकार ने टोकन राशि जमा कर दिया है। उक्त संपत्ति या उससे अंश भाग को मेरे पक्षकार द्वारा संयुक्त उपक्रम अनुबंध करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, उद्योग विभाग, राजस्व विभाग, अथवा शासकीय/अशासकीय विभाग, संस्था आदि को कोई आपत्ति या भार हो या किसी प्रकार का मांग मवालबात, दावा, झगड़ा, विवाद आदि हो या उक्त संपत्ति का किसी के पास विक्रय पत्र, आवंटन, विक्रय अनुबंध पत्र, दसीयतनामा, दान पत्र, या अन्य कोई विलेख निष्पादित किया हुआ हो या जमानत दी गई हो तो विस्तारित दिनांक से 7 (सात) दिवस के अंदर मेरे सम्मान सम्प्राप्त/दस्तावेजी साक्ष्य के साथ आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त अवधि निकल जाने के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उक्त आपत्ति शून्य मानी व समझी जाएगी व मेरा पक्षकार उक्त संपत्ति का अपने पक्ष में संयुक्त उपक्रम अनुबंध पत्र/अनुबंध पत्र निष्पादित करा लेगा जिसके पश्चात् सभी सम्मान परिणामों को जिम्मेदारी आपत्तिका की होगी।

भवदीय बी.के. चतुर्वेदी (अधिवक्ता)
एस-4, श्री ओम एडोसिएट्स, अमृत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पंजाबी बाग, भोपाल
मोबा. 9425026735, 9098748940

जाहिर सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार के द्वारा श्री राजेंद्र सिंह राजपूत आत्मज श्री नारायण सिंह, निवासी-सी-57 विद्यानगर होशंगाबाद रोड भोपाल, म.प्र. के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य का आवासीय फ्लैट क्रमांक 107 जिसका क्षेत्रफल 1253.00 वर्गफीट अर्थात् 116.45 वर्ग मीटर है जो प्रथम तल, जी.टी.वी. कैंपस मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधो संरचना विकास मंडल भोपाल द्वारा निर्मित है पर स्थित है के पक्ष से स्वयं के पक्ष में क्रय करने हेतु टोकन राशि अदा कर विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित कर लिया है। उपरोक्त संव्यवहार के संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् मेरा पक्षकार अनुबंध पत्र में तयशुदा राशि का भुगतान कर संदर्भिक भूमि का विक्रय पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करा लेंगी तथा किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भवदीय विजय गंगवार (अधिवक्ता)
कार्या.: 40, आकाश नगर, कोरस सुल्तानाबाद, भोपाल मो. : 9074124045, 7999379297

सार्वजनिक सूचना
एक किता कृषि भूमि/प्लॉट क्रमांक B-35, (कनकुरी बसुधा फार्म एवं रिमॉड) राजार सर्वे क्रमांक 491/1/1/5 (एस), 491/1/2 (एस), 491/2 (एस) का भाग, स्थित ग्राम खजुरी, पटवारी हल्का क्रमांक 08/15, आर.एन.एम. क्रमांक 01, विकासखण्ड फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)।
यह सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित संपत्ति श्री अमित गुप्ता आत्मज श्री कैलाश नारायण गुप्ता के स्वत्व एवं स्वामित्व की संपत्ति है। मेरे पक्षकार द्वारा उक्त संपत्ति को क्रय करने के आशय से विक्रेता श्री अमित गुप्ता को बयाना राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा उक्त संपत्ति के संबंध में पंजीकृत विक्रय पत्र का निष्पादन एवं पंजीयन किया जाना शेष है। अतः समस्त संबंधित व्यक्तियों, संस्थाओं, बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा शासकीय एवं अशासकीय विभागों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था का कोई दावा, अधिकार, हित, आपत्ति, बंधक, ऋणभार, विक्रय, रहन, अनुबंध, कब्जा, विवाद, कुर्की अथवा किसी भी प्रकार का अन्य अधिकार या हित विद्यमान हो, तो वे इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 (सात) दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर अपना लिखित दावा/आपत्ति आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाणों सहित प्रस्तुत करें। निम्नलिखित 07 (सात) दिवस की अवधि के भीतर कोई दावा अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था का कोई दावा, अधिकार, हित, बंधक, ऋणभार अथवा आपत्ति विद्यमान नहीं है। निम्नलिखित अवधि के उपरांत मेरे पक्षकार उक्त संपत्ति के संबंध में अपने पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित एवं पंजीकृत कराने हेतु स्वतंत्र होंगे। तत्पश्चात् प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी आपत्ति अथवा दावे को प्रभावहीन माना जाएगा तथा उसके लिए मेरे पक्षकार उत्तरदायी नहीं होंगे।

वैभव राजन सर्वसेना अधिवक्ता
Office: No. 82, Rachna Nagar, Near Rachna Tower Bhopal Mob: 9424424777

जाहिर सूचना
(कृषि भूमि खसरा क्र. 77/1(S) ग्राम नीमखेडा, प.ह.न. 39, तह. व जिला रायसेन म.प्र. के सम्बंध में)
मैं, अपने पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार ने श्री महेंद्र कुमार आत्मज श्री छोटालाल भगत एवं श्री राकेश कुमार आत्मज श्री फूलचंद, निवासी-भोपाल म.प्र. के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा क्र. 77/1(S) रकबा 4.521 हेक्टेयर अर्थात् 11.17 एकड़ जो कि ग्राम नीमखेडा, प.ह.न.39, तह. व जिला रायसेन म.प्र. में स्थित है को क्रय करने हेतु टोकन राशि अदा कर दी है। उपरोक्त संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति, वित्तीय संस्थान, बैंक, सोसायटी, शासकीय-अर्द्धशासकीय निकाय, शासकीय-अर्द्धशासकीय विभाग अथवा किसी अन्य संस्थान को कोई आपत्ति हो अथवा किसी के पास बंधक/गिरवी/रहन आदि हो अथवा पूर्व में कोई अनुबंध पत्र निष्पादित हो तो वह इस प्रकाशन के पंद्रह (15) दिवस के अंदर मेरे निम्न पते पर लिखित आपत्ति मय दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में मेरा पक्षकार उपरोक्त संपत्ति का अनुबंध/विक्रय-पत्र अपने हक में निष्पादित करवाने हेतु स्वतंत्र होंगे व उक्त समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। तदनुसार सूचित हो।

विनय कुमार मिश्रा
अधिवक्ता
The Legal Express
03, Indus Muskan Parisar Phase I, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) Mob. No. 9827540478

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

ई-नीलामी विक्रय सूचना



परिशिष्ट - IV क [नियम 8 (6) का परन्तुक देखें]
अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ जो बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्न वर्णित ऋणियों से बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूत लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी।

शाखा/ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	चल एवं अचल संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बिड बढ़ाने की राशि	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय	मांग सूचना दिनांक कब्जा दिनांक बकाया राशि
नीलबड़ शाखा, नीलबड़, भोपाल फोन : 91- 7247770057				
ऋणी- 1) मेसर्स राजहर्ष विनर्स मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड पता: खसरा नंबर- 242/1/2/1 दुकान नंबर ए-11, राजहर्ष शॉपिंग सेंटर, चोपराकलां, विदिशा रोड, भोपाल- 462001 2) श्री राजदीप सिंह गौर पुत्र राजेंद्र सिंह गौर (पार्टनर) 3) श्रीमती पूजा सिंह पत्नी राजदीप सिंह गौर (पार्टनर) दोनों का पता: ई-सेक्टर, एचआईजी-34, अयोध्या नगर, मां प्रभावती स्कूल के पास भोपाल (म.प्र.), पिन-462041	बंधक संपत्ति कमर्शियल डायवर्टेड भूमि एवं उस पर निर्माण स्थित रेवेन्यू सर्वे नं. 242/1/2/1; प.ह.नं. 14 आरआईसी सूखी सेवनिया क्षेत्रफल- 0.20 हेक्टेयर, ग्राम-चौपरा कलां, तहसील हुजूर, जिला- भोपाल पिन-462010 संपत्ति मालिक- श्री राजदीप सिंह गौर पुत्र श्री राजेंद्र सिंह गौर चतुर्सीमाएं- पूर्व- विदिशा रोड, पश्चिम- नाला, उत्तर- नाला, दक्षिण- विक्रेता की शेष भूमि	₹ 2,14,30,000/- ₹ 21,43,000/- ₹ 10,000/-	28.10.2026 दोपहर 2.00 बजे से 6.00 बजे तक	07.05.2026 07.08.2026 ₹ 50,27,158.86 +ब्याज एवं अन्य खर्च
ऋणी- 1) मेसर्स राजहर्ष ट्रांसपोर्ट केरियर प्रोप. श्री राजदीप सिंह गौर (2) श्री राजदीप सिंह गौर पुत्र राजेंद्र सिंह गौर (प्रोपराइटर) सभी का पता: ई-सेक्टर, एचआईजी-34, अयोध्या नगर, मां प्रभावती स्कूल के पास भोपाल (म.प्र.), पिन-462041	संपत्ति मालिक- श्री राजदीप सिंह गौर पुत्र श्री राजेंद्र सिंह गौर चतुर्सीमाएं- पूर्व- विदिशा रोड, पश्चिम- नाला, उत्तर- नाला, दक्षिण- विक्रेता की शेष भूमि			₹ 40,24,415.48 +ब्याज एवं अन्य खर्च
ऋणी- 1) मेसर्स नया बाजार प्रोपराइटर- श्रीमती पूजा सिंह पत्नी राजदीप सिंह गौर जमानतदार: 2) श्री राजदीप सिंह गौर पुत्र राजेंद्र सिंह गौर सभी का पता: ई-सेक्टर, एचआईजी-34, अयोध्या नगर, मां प्रभावती स्कूल के पास भोपाल (म.प्र.), पिन-462041				₹ 50,22,199.96 +ब्याज एवं अन्य खर्च

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट [https:// www.bankofbaroda.bank.in / e-auction.htm](https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm) एवं <http://BAANKNET.com> देखें। इच्छुक निविदाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी दूरभाष क्रमांक 7247770057 पर सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें - किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए बैंक की वेबसाइट <http://BAANKNET.com> पर दर्ज विवरण ही मान्य होगा।
तारीख : 19.09.2026, स्थान: भोपाल
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

Clean-up

The lake on April 27 this year. The tribunal also directed the Nagar Palika to remove plastic bottles and other garbage from the lake and launch a plantation drive around the water body.

The NGT sought a reply from the principal secretary of the forest department, collector Balaghat, MP Pollution Control Board, sub-divisional officer, and CMO, Balaghat Nagar Palika on July 24 this year.

The tribunal heard the petition on Friday, but the PS (forest department), collector, SDM, and CMO failed to submit a reply to the notices.

In its reply, MP PCB, however, said they had asked the collector and CMO to follow the directives of the NGT.

The tribunal also directed the MPPCB to monitor whether people release sewage water into the lake.

'Maintain zero MDR UPI system for traders'

Our Staff Reporter

BHOPAL

The Bhopal Chamber of Commerce and Industries has demanded that authorities maintain a zero MDR UPI system for traders. It expressed concern over the proposal to levy a Merchant Discount Rate (MDR) on specified merchant UPI transactions exceeding Rs 2,000.

In letters addressed to Prime Minister Narendra Modi, union finance minister Nirmala Sitharaman, Governor Mangu Bhai Patel, chief minister Mohan Yadav and the state finance minister, the Chamber president Govind Goyal requested immediate intervention to protect small and medium businesses.

Members of Bhopal Chamber emphasised that traders do not oppose UPI.

Rather, they advocate for making the payment network stronger and more widely accessible. The Chamber's demand is strictly limited to ensuring that eligible merchant UPI transactions remain exempt from MDR charges.

They urged the central and state governments to review the proposed 0.4% MDR on specified Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions above Rs 2,000. Additionally, the body called for a joint meeting with trade associations, the National Payments Corporation of India, banks and Payment Service Providers to reach a practical resolution. They also urged government leaders to initiate dialogue with business representatives to address their concerns and preserve the Zero-MDR model in the interest of trade.

Minor gives birth to stillborn

Our Staff Reporter

BHOPAL/RAISEN

A 16-year-old girl gave birth to a stillborn baby at the district hospital in Raisen, bringing to light that she was underage when married.

According to hospital officials, the girl was seven months pregnant when she was admitted to the district hospital. After the delivery, doctor on duty Dr Deepak Gupta informed the hospital administration.

which the committee (chairman, members, the hospital minor to her circle inquiry, that the married committed minor has marriage within months

AIIMS to train govt medical colleges in transplant

BHOPAL: Madhya Pradesh Council of Scientific and Industrial Research (MPCSI) has approved a proposal submitted by Dr. W. S. Watti, assistant professor (cardiothoracic) at AIIMS, Bhopal. Under it, AIIMS Bhopal will train healthcare workers from other government hospitals across the state in organ donation and transplant.



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

E-AUCTION SALE NOTICE

Appendix-IV-A [See proviso to rule 8(6) & 6(2)]

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) & 6 (2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to Bank of Baroda the Secured Creditor the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis for recovery of Amount mentioned below plus interest and other expenses due to Bank of Baroda the Secured Creditor from below mentioned Borrowers & Guarantors.

Name of the Branch / Borrower / Guarantors/ Mortgager	Description of Secured Assets (Movable/Immovable Properties)	Reserve Price	Date and Time of E-Auction	Demand Notice Date
		EMD		Possession Date
		Bid Increase Amt.		Outstanding Amount
Neelbad Branch, Neelbad, Bhopal Phone: + 91- 7247770057				
Borrowers: 1) M/s Rajharsh Winners Marketing Pvt. Ltd. Address : Khasara No- 242/1/2/1 Shop No. A-11, Rajharsh Shopping Center, Chopkalan, Vidisha Road, Bhopal- 462001 2) Mr. Rajdeep Singh Gaur S/o Rajendra Singh Gaur (Partner) 3) Mrs. Pooja Singh W/o Rajdeep Singh Gaur, (Partner) Address of Both: E- Sector, HIG-34, Ayodhya Nagar, Near Maa Prabhavati School Bhopal (M.P.), Pin- 462041	Equitable Mortgage of Commercial diverted Land & Construction over it, being part of Revenue Survey No 242/1/2/1, PH No. 14, RIC-Sukhisewania, admea- suring 0.20 Hectare, Village- Choprakalan, Tehsil- Huzur, Dist- Bhopal, Pin- 462010 in the name of Mr. Rajdeep Singh Gaur S/o Rajendra Singh Gaur, Boundaries: East: Vidisha Road, West: Nallah, North: Nallah, South: Rest Land of Seller	₹ 2,14,30,000/- ₹ 21,43,000/- ₹ 10,000/-	28.10.2026 2:00 p.m. to 06:00 p.m.	07.05.2026 07.08.2026 ₹ 50,27,158.86 +interest & other charges
Borrowers: 1) M/s Rajharsh Transport Carrier Prop. Mr. Rajdeep Singh Gaur 2) Mr. Rajdeep Singh Gaur S/o Rajendra Singh Gaur (Prop.) Address of All : E- Sector, HIG-34, Ayodhya Nagar, Near Maa Prabhavati School Bhopal (M.P.), Pin- 462041	Symbolic Possession			₹ 40,24,415.48 +interest & other charges
Borrowers: M/s Naya Bazar Prop. Mrs. Pooja Singh W/o Rajdeep Singh Gaur Guarantor: 2) Mr. Rajdeep Singh Gaur S/o Rajendra Singh Gaur Address of All : E- Sector, HIG-34, Ayodhya Nagar, Near Maa Prabhavati School Bhopal (M.P.), Pin- 462041				₹ 50,22,199.96 +interest & other charges

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Bank of Baroda website: <https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm> & <http://BAANKNET.com> Also, prospective bidders may contact the authorised officer on 7247770057

Please Note : For any error(s) the details available on bank's website : <http://BAANKNET.com> will be final.

Date: 19.09.2026, Place: Bhopal

Authorised Officer, Bank of Baroda



HINDUJA
HOUSING FIN

The undersigned, is hereby informed to HHFL, for realization

MP/BPL/BOPL/ Mr. SHUBHAM Mrs. VANDANA

Flat No. T-13, Sh Kolar Road, Tehs West - Flat No. 4

Standard Terms & Conditions:
2. Purchaser must deposit required up to 25% of the sale cost within 15 days of the sale made, including the deposit will be refund 194-IA of the Income shall not be responsible aspects of the property assigning reasons. Auction provided by portal. Secured Credit prospective bidders (Contact no. 72919 delhi@c1india.com name at